रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243678
CG-DL-E-16022023-243678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944
No. 695] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

का.आ. 725(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में NH3 के कि.मी. 59.48 से कि.मी.65.81 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह , ज़िला खरगोन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.11.2022 " को "नई दुनिया " और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में NH3 के कि.मी. 59.48 से कि.मी.65.81 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वाह , ज़िला खरगोन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		**जिले का नाम: खरगोन**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: महेश्वर				
	गांव का नाम: बाकानेर				
1	15	सरकारी	रास्ता	0.0222	म. प्र. शासन (15)
2	18/1	निजी	सिंचित	0.0707	तेरसिंग पिता किशन जाति भिल पता साकिन देह महेश्वर खरगौन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (18/1)
3	18/5	निजी	डायवर्टड	0.0315	अमिचंद पिता जामलिया जाति भील (यह भूमि व्यपवर्तित है) (18/5)
4	19/1/1	निजी	सिंचित	0.0046	रामसिंग पिता किशन जाति भील पता बाकानेर महेश्वर खरगौन मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी बसुबाई बेवा किशन जाति भील पता बाकानेर महेश्वर खरगौन मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी (19/1/1)
5	19/6	निजी	सिंचित	0.0123	रतन पिता किशन जाति भिलाला पता साकिन देह महेश्वर खरगौन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (19/6)

6	19/7	निजी	असिंचित	0.0069	रमेश पिता बारसिंह (1/4 हिस्सा) , मुकेश पिता बारसिंह (1/4 हिस्सा), राजेश पिता बारसिंह (1/4 हिस्सा), मंजु पिता बारसिंह (1/4 हिस्सा) (19/7)
7	23	सरकारी	नाला	0.0519	म. प्र. शासन (23)
8	24/3	निजी	असिंचित	0.0199	गोपालदास पिता मदनलाल सिघल जाति महाजन पता मल्हार गंज इंदौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (24/3)
9	25	सरकारी	चरागाह	0.1442	म. प्र. शासन (25)
			कुल	**0.3642**	

[फा. सं. NHAI/LA/2018/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2023

S.O. 725(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH3 on the stretch of land from Km. 59.48 to Km. 65.81 (SDO (Revenue) Barwah District Khargone) in the district of Khargone in the state of MADHYA PRADESH ;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Nai Duniya" and "Free Press " both dated 12.11.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH3 in the stretch of land from Km. 59.48 to Km. 65.81 (SDO(Revenue) Barwah District Khargone) in the district of Khargone in the State of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH		**District: Khargone**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Maheshwar				
	Village: Bakaner				
1	15	Government	Rasta	0.0222	Govt. of Madhya Pradesh 15
2	18/1	Private	Irrigated	0.0707	Tersingh S/o Kishan Caste Bheel R/o Sakin Deh Maheshwar Khargone Madhya Pradesh Land Owner 18/1
3	18/5	Private	Diverted	0.0315	Amichand S/o Jamliya Caste Bheel R/o Niwasi Gram Maheshwar Khargone, Madhya Pradesh 18/5
4	19/1/1	Private	Irrigated	0.0046	Ramsingh S/o Kishan Caste Bheel R/o Bakaner Maheshwar Khargone Madhya Pradesh 1/2 Part Land Owner Basubai Widow Kishan Caste Bheel R/o Bakaner Mahehwar Khargone Madhya Pradesh 1/2 Part Land Owner 19/1/1
5	19/6	Private	Irrigated	0.0123	Ratan S/o Kishan Caste Bhilala R/o Sakin Deh Maheshwar Khargone Madhya Pradesh Land Owner 19/6
6	19/7	Private	Unirrigated	0.0069	Ramesh s/o Barsingh (1/4 Part) , Mukesh s/o Barsingh (1/4 Part) , Rajesh s/o Barsingh (1/4 Part) , Manju d/o Barsingh (1/4 Part) 19/7
7	23	Government	Nala	0.0519	Govt. of Madhya Pradesh 23
8	24/3	Private	Unirrigated	0.0199	Gopaldas S/o Madanlal Singhal Caste Mahajan R/o Malhar Ganj Indore Madhya Pradesh Land Owner 24/3
9	25	Government	Charagah	0.1442	Govt. of Madhya Pradesh 25
			TOTAL	**0.3642**	

[F. No. NHAI/LA/2018/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.